लोक शिक्षण संचालनालय,मध्य प्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462021
दूरभाष 91–0755–2583650 फैक्स 2583651

पृ.क्र. / लो.शि.सं. / आई.ई.डी.एस.एस. / 2010 / 151. भोपाल, दिनांक 14 / 09 / 2010

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रानस्त (म.प्र.)

विषय:–आई.ई.डी.एस.एस. योजना अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन।
सन्दर्भ:--संचालनालय द्वारा विषयांकित के संबंध में जारी विज्ञप्ति।

---00---

विषयान्तर्गत संलग्न विज्ञप्ति का अवलोकन करें। केन्द्र प्रवर्तित विकलांग बच्चों की समावेशित शिक्षा सेकेण्ड्री स्टेज (आई.ई.डी.एस.एस.) अन्तर्गत जिलों में अध्ययनरत विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था एवं संसाधन केन्द्रों के संचालन हेतु जिले में विकलांग बच्चो की शिक्षा एवं पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत योग्य एवं अनुभवी स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा किया जाना है। जिले में स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित किया जाना है –

1. कलेक्टर – अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत – सदस्य
3. उप संचालक सामाजिक न्याय – सदस्य
4. जिला परियोजना समन्वयक – सदस्य
5. जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव

योजना अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्ताव आमंत्रण की विज्ञप्ति राज्य स्तर से जारी कर इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं से उनके द्वारा चाहे गये जिलों में प्रस्ताव जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में स्वयं सवी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने तथा उसका विधिवत अभिलेख रखने की व्यवस्था करें। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि के 07 दिवस के अंदर उपरोक्तानुसार गठित कमेटी की बैठक कर स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन प्रस्ताव में अंकित अर्हताओं के आधार पर अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। जिले द्वारा चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं का अनुमोदन लोक शिक्षण संचालनालय से कराने हेतु अगले 03 दिवस के अन्दर कराने हेतु अनिवार्य रूप से चयनित संस्थाओं की सूची (चयन पत्रक) लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत की जाए। जिससे की अनुमोदन पश्चात तत्काल कार्य प्रारंभ हो सके।

जिले द्वारा चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संयोजित विशेष शिक्षकों के वेतन भत्ते एवं योग्यताएं एमएचआरडी भारत शासन के निर्देशानुसार निम्नानुसार होनी चाहिए –

I. विशेष शिक्षक स्नातक के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. सामान्य के साथ डीएसई अथवा पीजीपीडी (विशेष शिक्षा)।

II. विशेष शिक्षक स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. सामान्य के साथ डीएसई अथवा पीजीपीडी (विशेष शिक्षा)।

विशेष शिक्षा में उपरोक्त योग्यता भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

III. स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्नातक विशेष शिक्षक को रु.10,000/-- प्रतिमाह एवं स्नातकोत्तर विशेष शिक्षक को रु.12,500/-- प्रतिमाह मानदेय दिया जाना है।

IV. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आधार पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

V. किसी जिले में विकलांगता में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्था नहीं होने की दशा में अन्य जिले की स्वयं सेवी संस्थाओ को यह कार्य सौंपा जा सकता है।

VI. एक जिले में एक से अधिक पात्र स्वयं सेवी संस्था होने की दशा में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्थाओं को विकासखण्डवार कार्य का बंटवारा किया जाए।

VII. जिलो के लिए चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को जिले के संसाधन केन्द्र संचालन का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाएगा।

(हस्ताक्षर) 9/9

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.

पृ.क्र./लो.शि.सं./आई.ई.डी.एस.एस./2010/1452 भोपाल,दिनांक 15/09/2010

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन
2. कलेक्टर समस्त जिले म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जिले म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण समस्त सम्भाग म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.